

तारीख  
हुक्म

न्यायालय जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा ( राज. )  
काका पट्ट बनाम राज. हाउसिंग बोर्ड  
किस्म मुकदमा ग्रा. पत्र अंतर्गत नं. 27 सन् 2025  
धारा 28(ए) LA Act, 1894  
हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज

16.12.25



पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित। उभयपक्षराकान् की दर्ज बहस सुनी गयी। प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र मेमों में वर्णित तथ्यों के अनुसार किसी प्रकार का कोई विधिक दस्तावेजात पेश नहीं किये। लिहाजा प्रार्थना पत्र मेमों में वर्णित तथ्यों की प्रचलीत विधिक प्रावधानों के अनुसार पुष्टि होना नहीं पाया गया। विपक्षी अधिवक्ता ने प्रकरण श्रवणाधिकार इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं होने का कथन किया गया है, जिसका कोई खण्डन प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा पेश नहीं किया गया। लिहाजा प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 28 (ए) भूमि अवाप्ति अधिनियम 1894 दिनांक 12.11.2024 अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली दर्ज रजिस्टर किया जाकर, पत्रावली फैसल शूमार होकर नम्बर से कम करे।

जिला कलेक्टर  
भीलवाड़ा  
राज. हाउसिंग बोर्ड

सेवानें

श्रीमान कलेक्टर  
भीलवाड़ा (राज.)

1. श्री कान्हा पिता श्री
2. श्री बालू पिता श्री गो
3. श्रीमती मांगी देवी पु
4. श्रीमती गटू देवी पुत्री

राजस्थान हाउसिंग बोर्ड,  
भीलवाड़ा (राज.)

प्रार्थनापत्र अ

महोदयजी,

प्रार्थीगण की ओर

1. यह है कि गोपी भीलवाड़ा के खाते जिसके आराजी स 3519/2564 कुल हाउसिंग बोर्ड, शा मुआवजा पूर्ण रूप
2. यह है कि कुछ जिसका मुआवजा सहित व सालेसिय ब्याज दिलाये जाने के हिसाब से मुआ
3. यह है कि हमारी एक ही नोटिफिकेश जायज व कानूनी है जो नियमानुसार तक 9% ब्याज, बा
4. यह है कि न

02/05/2017 व

13/10/2024 व